न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 112/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– अमीन खां घुत्र मोबीन खां 2– गफुर खां पुत्र मोबीन खां 3– असलम पुत्र अब्दुल रहुफ जातियान मुसलमान निवासीगण ग्राम रिण मलार, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर		1– अब्दुल मजीद पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम रिण मलार, तहसील फलोदी जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 7/2021 मे दिनांक 27–1–2021 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री बरकत खां मेहर अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 27–7–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत केवल तहसीलदार फलोदी को पक्षकार बनाते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम रिण के खसरा नंबर 65/1 रकबा 15 बीघा तथा उसके पुत्र अब्दुल मलीक के खसरा नंबर 65/3 रकबा 15 बीघा कुल 30 बीघा भूमि की पत्थरगढी की जाये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–1–2021 के द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त खसरा नंबरान की भूमि की पत्थरगढी फर्द पैमाईश दिनांक 17–2–2019 के अनुसार करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट आने के बाद ही किसी खसरे की भूमि की पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा सकता है परंतु

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वर्तमान प्रकरण मे किसी पडौसी खातेदार को पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलांट संख्या 1 व 2 खसरा नंबर 65 के चिपते खसरा नंबर 72/3 के रेकर्डेड खातेदार है तथा अपीलांट संख्या 3 खसरा नंबर 65 पर काबिज व्यक्ति है खसरा नंबर 65 मूल रूप से सरकारी खसरा है जिस पर अपीलांट संख्या 3 का कब्जा पीढियो एवं वर्षो से चला आ रहा है, खसरा परिवर्तनशील मे अपीलांट संख्या 3 का नाम दर्ज है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने जिस स्थान पर पत्थरगढी करने का आदेश पारित किया है, उस स्थान पर अपीलांट संख्या 3 का कब्जा है इसकी जांच करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है । इसके अलावा जो पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 17–2–19 की पेश की गई, वह भी एकतरफा बिना पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे तैयार की गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पैमाईश रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया तथा और न ही मौके की कोई जांच ही करवाई गई, सीधा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध, विधि के प्रावधानो एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 17–2–19 पटवारी हल्का ने केवल रेस्पो0 की मौजुदगी मे तैयार की जाना प्रकट होता है तथा उक्त पैमाईश रिपोर्ट पर जिन व्यक्तियो के हस्ताक्षर है, वे मूल खसरा नंबर 65 व उसके पडौसी खातेदार ही नही है तथा ऐसी पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने जो पत्थरगढी बाबत आदेश पारित किया है, वह विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर अपीलांटगण को पक्षकार नही बनाया तथा रेस्पो0 संख्या 3 जो वर्षो से अपीलाधीन भूमि पर काबिज है, उसे बिना विधिक प्रकिया अपनाये इस अपीलाधीन आदेश के जरिये मौके पर से बेदखल करना चाहते है, जो न्यायोचित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अभी वर्षा काल चल रहा है तथा वर्षा काल एवं खडी फसल के दौरान पैमाईश एवं पत्थरगढी नही करने बाबत राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश होने से वर्षाकाल के दौरान मौके पर पत्थरगढी नही की जा सकती है । अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–1–2021 को निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी.2015 (1) पेज 608 की निर्णय नजीर पेश की ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट हमारी खातेदारी खेत के पडौसी खातेदार नही है और न ही इनके खातेदारी के खेत हमारी खातेदारी से लगता है इसलिए अपीलांट की अपील मेन्टेनेबल नही होने से खारीज योग्य है ।

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो० संख्या 2 अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील के पद संख्या 3 को पढकर सुनाया जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया है कि खसरा नंबर 65 सरकारी खसरा है तथा अपीलांट संख्या 3 का उक्त खसरे पर कब्जा है अथार्त अपीलांट तो अतिक्रमी है न कि खांतेदार इसलिए अतिक्रमी को उक्त अपील पेश करने का कोई राईट नही नही है । वकील रेस्पो० संख्या 2 ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न नक्शा ट्रेस की सत्यप्रति प्रस्तुत की जिसमे खसरा नंबर 72/3 दर्शाया ही नही गया है तथा उक्त खसरा की भूमि रेस्पो० संख्या 1 के खातेदारी भूमि के लगती हुई नही है ।

वकील रेस्पो० संख्या 1 ने कथन किया कि मैने अपने खातेदारी के खसरा नंबर 65/1 एवं 65/3 की पैमाईश एवं पत्थरगढी करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे अपीलांटगण को चुनौती देने का कोई अधिकार नही होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । रेस्पो० अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्येक खातेदार अपने खातेदारी की कृषि भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत है । रेस्पो० अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे 2002 आर.आर.डी. पेज 316 पैरा 9 व 10 तथा 2016 (2) आर.आर.टी. पेज 1041 पेरा 5 व 6 की निर्णय नजीरे पेश की ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो० संख्या 1 अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 व 2 खसरा नंबर 72/3 के रेकर्डेड खातेदार है जो खसरा नंबर 65 से लगता हुआ होने से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है तथा अपीलांट संख्या 3 का खसरा नंबर 65 सरकारी खसरे मे 5 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त 24 वर्षो से चला आ रहा है तथा खसरा परिवर्तनशील मे अपीलांट का नाम दर्ज है इसलिए अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार होने से यह अपील 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है जिसका रेस्पो० की ओर से कोई जवाब नही दिया है इसलिए रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल के नियम 32 अनुसार यदि किसी प्रार्थना पत्र का जवाब नही आने पर वह प्रार्थना पत्र सही माना जायेगा इसलिए अपीलांटगण को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपीलांटगण की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया । अपीलांट अधिवक्ता ने जवाब मे यह भी कथन किया कि बाऊण्डरी डिस्प्युट मे केवल पजेशन देखना आवश्यक होता है न कि खातेदारी राईट । जवाब मे यह भी कथन किया कि उक्त अपील मे इस न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष मे पारित किये गये एकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 17–3–2021 के विरूद्ध रेस्पो०गण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत निगरानी संख्या 2153/2021 जो अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की हुई होने से प्रस्तुत निगरानी विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर ही निर्णित करते हुए इस न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर अपील का एक माह मे निस्तारण के निर्देश दिये है अथार्त माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार माना है इसलिए रेस्पो० अधिवक्ता का यह कथन कि अपीलांट संख्या 3 को अपील पेश करने का कोई

संभागीय आयुक्त जोधपुर

अधिकार नही है, सही नही माना जा सकता है । वकील अपीलांट ने रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा की बहस के खण्डन स्वरूप आर.आर.डी. 1994 पेज 400 एवं आर.आर.डी. 1989 पेज 23 की निर्णय नजीरें पेश की ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 व 2 के खातेदारी की भूमि रेस्पो0 संख्या 1 के खातेदारी की भूमि 65/1 एवं 65/3 से लगती हुई होने बाबत कोई नक्शा पेश नही किया है तथा अपीलांट संख्या 3 खातेदार नही होकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमी (ट्रेसपासर) है तथा अतिक्रमी को किसी प्रकार की अपील पेश करने का कोई अधिकार नही होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध एवं प्रस्तुत दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–1–2021 एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा उनकी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वयं के खातेदारी की ग्राम रिण के खसरा नंबर 65/1 रकबा 15 बीघा भूमि तथा उसके पुत्र अब्दुल मलीक के खसरा नंबर 65/3 रकबा 15 बीघा कुल 30 बीघा भूमि की पत्थरगढी बाबत निवेदन किया तथा अपने प्रार्थना पत्र के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न आवेदित खसरा नंबरान की जमाबंदी तथा दिनांक 17–2–2019 की सीमांकन रिपोर्ट आदि प्रस्तुत कर उक्त खसरान की नेखमबंदी बाबत निवेदन किया, जिसमे भूमिधारी तहसीलदार फलोदी को पक्षकार बनाया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–1–2021 के द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त खसरा नंबरान की भूमि की पत्थरगढी फर्द पैमाईश दिनांक 17–2–2019 के अनुसार करने के आदेश पारित कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष यह कथन करते हुए पेश की है कि अपीलांट संख्या 1 व 2 जो कि खसरा नंबर 65 के चिपते खसरा नंबर 72/3 के खातेदार है तथा अपीलांट संख्या 3 उक्त खसरा नंबर 65 जो मूलतः सरकारी खसरा है जिस पर अपीलांट संख्या 3 का कब्जा काश्त है तथा खसरा परिवर्तनशील मे उसका नाम दर्ज है इसलिए वे रेस्पो0 के खातेदारी की भूमि के पडौसी खातेदार होने से उन्हे पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा उनकी अनुपस्थिति मे दिनांक 17–2–19 को तैयार पैमाईश फर्द के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

प्रति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट के इस कथन के संबंध मे हमने रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताये गये राजस्व नक्शें जो फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत किया है, का अवलोकन ... अपीलांट संख्या 1 व 2 का खसरा नंबर 72/3 रेस्पो0 के खसरा नंबर 65/1

एवं 65/3 की खातेदारी की सीमा से लगता हुआ नही होने से अपीलांट संख्या 1 व 2 को प्रभावित व्यक्ति नही माना जा सकता है तथा अपीलांट संख्या 3 जिसका केवल सरकारी भूमि खसरा नंबर 65 पर अतिक्रमी के रूप मे कब्जा काश्त होने से किसी अतिक्रमी को किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार हासिल नही होते है तथा उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नही होने से उन्हे पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नही था ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–1–2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27–7–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर